प्रकरण संख्या 9/2019 अलखुराम बनाम हरिचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के शामलाती खाता संख्या 717 नया 599 पुराना की आराजीयात कुल किता 26 रकबा 1.7000 हैक्टर भूमि ग्राम मोर तहसील गढ़ी में स्थित है, जिसके मूल पुरूष वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बाबरिया जी थे। उक्त खाते में वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। वादीगण उक्त खेतों में आधुनिक तरीके से सुधार चाहते हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के इंकार करते हैं एवं लडाई–झगड़ा करते हैं, जिससे उक्त वाद प्रस्तुत करना पड़ा। अतः वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य समान रूप से बराबर–बराबर भाग से विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि विवादित आराजियात उनकी पैत्रृक होकर हमारे पिता उंकारिया का नाम दर्ज है व उनकी मृत्यु के पश्चात हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। अतः वादिया का वाद खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.07.2017 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31.07.2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.09.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर काबिज अनुसार विभाजन नहीं [illegible] है तथा अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय प[illegible] पर अपीलान्ट क सहमति नहीं ली ग[illegible] की भी प्राकृतिक न्[illegible] सिद्धान्तों के विपरीत बिना सहमति [illegible] लोक अदालत में [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 9/2019 अलखुराम बनाम हरिचन्द

बिना किसी गुणावगुण के निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2019 निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गढ़ी को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जबकि मौके पर तहसीलदार नहीं गये एवं न ही विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकारों की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा जो फर्द बंटवारा तैयार किया गया है, उसके आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि बंटवारा जमीन की किस्म अनुसार नहीं किया गया है, क्योंकि लगान में काफी भिन्नता है, जबकि बंटवारा नियम 18 से 21 में प्रत्येक पक्षकार को अच्छी से अच्छी एवं खराब से खराब भूमि दिये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार गढ़ी स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना में पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्ताव पर यदि किसी पक्षकार की आपत्ति है तो सर्वप्रथम उसका निस्तारण करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.03.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:32 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
एवं दिन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर